प्रेस नोट

सराहनीय कार्य जनपद कानपुर देहात
दिनांक- 11.07.2024

- **साइबर अपराध नियंत्रण व साइबर अपराधियों की गिरफ्तारी की दिशा में थाना साइबर क्राइम पुलिस को मिली बड़ी सफलता।**
- **थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा साइबर फ्रॉड में संलिप्त 01 नफर अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।**
- **साइबर अपराधी द्वारा पीड़िता को निवेश का झांसा देकर कुल 12,71,800/- रु0 का किया गया था साइबर फ्रॉड ।**

कृपया अवगत कराना है कि अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री जोगेन्द्र कुमार के कुशल मार्गदर्शन में एवं पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्रीमान बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में साइबर क्राइम से सम्बन्धित घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में थाना साइबर क्राइम पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए वादिनी द्वारा दी गयी लिखित तहरीर जिसमें अज्ञात साइबर अपराधियों द्वारा **12,71,800/- रु0** की ठगी करने के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 02/2024 धारा 420/406 भा0द0वि0 व 66c/66d IT Act पंजीकृत किया गया था । थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा संकलित साक्ष्यों के आधार पर अथक प्रयास करते हुए आज दिनांक 11.07.2024 को मुकदमा उपरोक्त में संलिप्त 01 नफर अभियुक्त गिर्राज पुत्र लखनलाल रावत निवासी पाटई थाना आरोन जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के द्वारा किये गये फ्रॉड की धनराशि में से कुल 50,000 रु0 की धनराशि को अभियुक्त के अकाउंट में फ्रीज कराया गया जिसको वापस कराने हेतु विधिक कार्यवाही प्रचलित है । गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

1. गिर्राज पुत्र लखनलाल रावत निवासी पाटई थाना आरोन जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश ।

अभियुक्त का आपराधिक इतिहास–

1. मु0अ0सं0- 02/2024 धारा 420/406/34 भा0द0वि0 व 66c/66d IT Act थाना साइबर क्राइम कानपुर देहात।

गिरफ्तार करने वाली थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम-

1. प्र0नि0 श्री प्रवीन कुमार यादव
2. का0 522 कृष्ण कुमार
3. हे0का0 चालक शत्रुघन सिंह